

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 20/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सिद्धार्थ तिवारी

पंजीकृत कार्यालय:- 318, डी.एल.एफ. मॉगनोलियास, सेक्टर 42 गोल्फ कोर्स रोड़ गुरुग्राम एच.आर. 122002

शाखा कार्यालय:- 809-815 आठवा तल टॉवर-ए ईमार डिजिटल ग्रीनस, गोल्फ कोर्स एक्सटेन्शन रोड़ सेक्टर 61, गुरुग्राम 122102

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **Sultan ram saini s/o Jhabar Mal R/O Dhani Kirodiwal Ward no 1 Guhala Tehsil Neemkathama Sikar Rajasthan 332706**
2. **Annu Saini w/o Sultan Ram Saini R/O Dhani Kirodiwal Ward no 1 Guhala Tehsil Neemkathama Sikar Rajasthan 332706**
3. **Jhabar Mal s/o Shankar Lal Saini R/O Dhani Kirodiwal Ward no 1 Guhala Tehsil Neemkathama Sikar Rajasthan 332706**
4. **Vinod Kumar s/o Jhabar Mal R/O Dhani Kirodiwal Ward no 1 Guhala Tehsil Neemkathama Sikar Rajasthan 332706**


—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 मार्च, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **योगेन्द्र सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि


(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **Sultan ram saini s/o Jhabar Mal, Annu Saini w/o Sultan Ram Saini, Jhabar Mal s/o Shankar Lal Saini and Vinod Kumar s/o Jhabar Mal** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति Sain Commecrcial Shop with roof right at Village Guhala Ward no 15 tehsil Neem ka Thana District Sikar Rajasthan** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 18.47 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में **house of vinod kumawat mooli devi**, पश्चिम दिशा में **shop of babu lal**, उत्तर दिशा में **road guahala to udaipurwati** एवं दक्षिण दिशा में **house of vinod kumawat moolidevi** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल **₹9,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये नौ लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.04.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **Sultan ram saini s/o Jhabar Mal, Annu Saini w/o Sultan Ram Saini, Jhabar Mal s/o Shankar Lal Saini and Vinod Kumar s/o Jhabar Mal** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति Sain Commercical Shop with roof right at Village Guhala Ward no 15 tehsil Neem ka Thana District Sikar Rajasthan** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 18.47 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में **house of vinod kumawat, mooli devi**, पश्चिम दिशा में **shop of babu lal**, उत्तर दिशा में **road guahala to udaipurwati** एवं दक्षिण दिशा में **house of vinod kumawat moolidevi** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **23 मार्च, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर